6

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी प्रकरण संख्या 15/2024

आशीष पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 2. गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत गिलवाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज.।
2. पंचायत समिति टिब्बी जरिये विकास अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. बिहारीलाल पुत्र दलीपराम जाति मेघवाल निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. धर्मपाल पुत्र साधुराम निवासी चक 3 एफटीपी वार्ड नं0 02 ग्राम गिलवाला ग्राम पंचायत सहारणी पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ

——अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध नोटिस दिनांक क्रमांक 93/24.07.2024 ग्राम पंचायत सहारणी/गिलवाला द्वारा जारी, को खारिज फरमाने बाबत

उपस्थितः— 1. श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री प्रदीप मोहन भाटी अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02
3. श्री नवदीप कडवासरा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 03
4. श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी सं0 04

—:निर्णयः—

दिनांकः— 30.01.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिजी के है। प्रति नोटिस दिनांक 24.07.2024 सलंग्न निगरानी है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता को शिकायतन व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि निगरानीकर्ता द्वारा गांव के चक 3 एफ. टी.पी के प.नं. 34 के किला नं. 1. 10. 11 मुताबिक नजरी नक्शा गैर मुमकिन् आबादी भूमि में अतिक्रमण कर रखा है, को खाली करवाया जावे, जिस पर गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत नोटिस दिनांक 24.07. 2024 को गैर निगरानी सं. 3 बिहारीलाल पुत्र दलीपराम के विरूद्ध एक झूठे तथ्यों के आधार पर जारी कर निगरानीकर्ता को चुनौती दी है कि उक्त गैर मुमकिन आबादी का अतिक्रमण हटायेगें व निगरानीकर्ता के आवासी [illegible] रों से वंचित करेगें। गैर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता के [illegible] सुनवाई किये एकतरफा कार्यवाही की गई जो कि [illegible] द्वारा निगरानीकर्ता को छिपे तौर पर नोटिस जारी किया है, जिसकी एकतरफा कार्यवाही करने पर आ[illegible] गैर निगरानीकर्ता द्वारा नोटिस दिनांक 24.07.2024 जो [illegible] बिहारीलाल पुत्र दलीप[illegible] नोटिस प्रेषित किया है. प्रश्नगत भूखण्ड पर बिहारीलाल पुत्र दलीपराम का कोई कब्जा नहीं है। निगरानीकर्ता को ग्राग पंचायत गैर निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं अपने लेटर पेड पर दिनांक एस.पी.एल. दिनांक 23.05.2020 को लिखित जारी कर दिनांक 25.10.2010 को लिखित जारी कर दिनांक 06.04.2012 लिखित जारी कर स्वयं ने माना है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:04:58 IST
Reason: SelfAttested

(2)

निगरानीकर्ता प्रश्नगत भूखण्ड पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से निर्बाध रूप से निवास करता आ रहा है। प्रश्नगत भूमि जो कि निगरानीकर्ता के पैतृक हक हिस्सा की भूमि है जिस पर निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि को निगरानीकर्ता के पूर्वजों ने विधिवत् खाता विभाजन दिनांक 3.2.1975 को सहायक कलैक्टर टिब्बी कैम्प बशीर द्वारा विभाजन में प्राप्त है. किन्तु टंकणीय त्रुटिवश उक्त भूमि गैर मुमकिन आवादी क्षेत्र में दर्ज हो गई. जिसका ज्ञान निगरानीकर्ता को पूर्व में नहीं था. उक्त भूमि पर बतौर कृषि कार्य निगरानीकर्ता द्वारा किया जा रहा है व कब्जाकाश्त में है। किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान न देकर व गांव के किसी व्यक्ति बिहारीलाल के साथ कुसंयोजन कर निगरानीकर्ता को बेदखल करने के आशय से विधि विरुद्ध कार्यवाही अपनाई गई है। निगरानीकर्ता द्वारा बतौर तृतीय पक्षकार निगरानी प्रस्तुत की जा रही है. क्योंकि प्रश्नगत भूमि चक 3 एफ.टी.पी. के प.नं. 34 के किला नं. 1. 10, 11 प्रत्येक 126 हैक्टेयर की भूमि निगरानीकर्ता के पैतृक हक हिस्सा कः भूमि हे, जिस पर निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है. भूमि जो टंकणीय त्रुटिवश गैर मुमकिन आवादी दर्ज हो गई है जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैर निगरानीकर्ता द्वारा कुसंयोजित नोटिस के आधार पर बेदखल करने की फिराक में है। उक्त भूमि में निगरानीकर्ता का पैतृक हक हिस्सा होने के कारण प्रश्नगत गैर निगरानीकर्ता द्वारा जारी नोटिस में हितबद्ध पक्षकार है। बतौर तृतीय पक्षकार निगरानी प्रस्तुत की जा रही है. जिसके लिये प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी पृथकतः प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः 93 दिनांक 24.07.2024 को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 02,03 एवं 04 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। उभयपक्ष के निवेदन पर प्रकरण की वस्तुस्थिति के लिए न्यायालय द्वारा 21.11.2024 को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसकी रिपोर्ट मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 24.11.2024 को न्यायालय में पेश कि गई जो इस प्रकार है।

विवादित स्थल के दक्षिण में संजय पुत्र मनफुल जाति नाई निवासी गिलवाला का खाली प्लाट मिट्टी की भर्तीशुदा है जो कि गली आम रास्ता पर लगता है। विवादित स्थल के एक्स स्थान पर दो पुराने पिल्लर सीमेन्ट के लगे हुए व उन पिल्लरो पर पुरानी कंटीली तार टेडी मेडी अवस्था में खिची हुई है, यह प्लाट पूछने पर गड़सीराम पुत्र जगराम का होना बताया गया है व उसी के द्वारा अपनी जगह में डाली हुई मिट्टी समतल की हुई है जो आजकल में समतल नहीं की हुई है। विवादित स्थल के एक्स स्थान पर तीन पिल्लर दक्षिण की साईड व तीन पिल्लर उतर की तरफ लगे हुए है जिन पर तीन लडी कंटीली तार लपेटी हुई है, जो कि ढीली अवस्था में लटकी हुई, जो पुरानी हो चुकी है, उपस्थित लोगो से पूछने पर बताया कि कुछ माह पूर्व निगरानीकर्ता के परिवार द्वारा लगाई गई है। पिल्लरो के पास ताजा गड्डे खुदे होने के निशान नही पाये गये है, जिसमें ए से बी स्थान पर [illegible] का वृक्ष, डी स्थान पर लकडी (बनछटीया), ई–1 व ई–2 स्थान पर [illegible] एफ स्थान पर कुई बनी हुई है। विवादित स्थल के पूर्व की [illegible] स्थान पर पिल्लर लगाकर कंटीली तारबंदी की हुई है जो लगभग 4 [illegible] लगी हुई है जो अरविन्द कडवासरा की है। विवादित स्थल जी स्थान पर पगडंडी है जो कि भीयाराम के मकान के सामने गली में मिलती है। एच स्थान पर तुडी का कुप है, आई स्थान पर बड़ी कीकर, जे स्थान पर नसुडा, ज्ञ (के) स्थान पर नीम का पेड, एल स्थान पर कीकर, एम स्थान पर भी कीकर, एन व पी स्थान पर रूडी (कुरडी), ओ स्थान पर हरबंस का छोटा कमरा, आर–1 व आर–2 स्थान पर रेत की ढाल बनी हुई है, क्यू 1 व क्यू 2 स्थान पर तारबन्दी, एक्स स्थान पर छोटे लकडी के खम्भे रोपकर घेराबंदी बीरबलराम व भीयाराम के द्वारा की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:04:58 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

(2)

है, जो कि क्यू–1 व क्यू 2 स्थान पर तारबंदी भी वीरबलराम व भीयाराम के द्वारा की गई है। एस स्थान पर लकडी पडी हुई है। विवादित स्थल के पश्चिम की तरफ दर्शाये गए व्यक्तियों के नाम है, उनके मकान बने हुए है, जिसमें गडसीराम पुत्र जगराम के मकान को गली आम रास्ता लगता है व भागीरथ पुत्र जगराम, पालाराम पुत्र जगराम, लालचन्द पुत्र सहीराम के मकान को भी रास्ता लगता है, जो कि सीसी ब्लॉक से बना हुआ है। वीरबल व भीयाराम पुत्र साधुराम के मकान का भी आम रास्ता लगता है जो कि सी.सी. ब्लॉक से बना हुआ है। भागीरथ पुत्र भगवानाराम व नत्थुराम बैनीवाल पुत्र ठाकरराम बैनीवाल के मकान को भी रास्ता लगता है जो कि सी.सी. ब्लॉक से बना हुआ है। हरबंस पुत्र दलीप, हनुमान पुत्र मनीराम व श्योपतराम पुत्र बुधराम के मकान को भी आम रास्ता लगता है जो सी.सी. ब्लॉक का बना हुआ है। पृथ्वीराज पुत्र ख्यालीराम का नोहरा है जो कि आम रास्ता पर गेट खुलता है, सभी व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के मकानो का मुख्य गेट विवादित स्थल की तरफ नही है। विवादित स्थल के उत्तर की तरफ आम रास्ता है जो कि सी.सी. ब्लॉक से बना हुआ है। मौका पर पहुंचने पर निगरानीकर्ता आशीष, गैर निगरानीकर्ता धर्मपाल का भाई भीयाराम, सरपंच संदीप कुमार उपस्थित जन बीरबलराम, सुनील, सुरेश आदि के द्वारा मौका पर उपस्थित थे, जिनके हस्ताक्षर मेरे द्वारा करवाये गये है व पूछने पर 82 कृषि भूमि व शेष 82.6 आबादी भूमि में आनी बताया गया। बाहरी फिरनी बाबत पूछने पर किसी के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। गैर निगरानीकर्ता धर्मपाल के भाई भीयाराम के द्वारा अपने घर को संकरी गली (आम रास्ता) आना बताया व साथ लकडी तुडी वगैरा लेकर आने में दिक्कत बताई। वही निगरानीकर्ता व अन्य के द्वारा कहा गया कि उक्त विवादित स्थल के उतर की तरफ तो आम रास्ता है, परन्तु दक्षिण की तरफ गडसीराम पुत्र जगराम व संजय पुत्र मनफुल के प्लाट है जो कि आम रास्ता पर खुलते है, उक्त विवादित भूमि के बारे में सरपंच व पटवारी से पूछने पर इसका इन्द्राज जमाबन्दी में होना बताया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः 93 दिनांक 24.07.2024 को खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं 04 ने अपनी बहस में कथन किये कि उक्त निगरानी ग्राम पंचायत गिलवाला के नोटिस दिनांक 24.7.2024 के विरूद्ध पेश की गई है जो नोटिस चक 3 एफ.टी.पी. की फिरनी की जगह पर अतिक्रमीयों द्वारा नाजायज अतिक्रमण करने के कारण एवं अतिक्रमण को हटाये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है।. यह कि प्रार्थी भी इसी गांव का निवासी है तथा फिरनी की जगह पर अतिक्रमण होने के कारण आवागमन करने एवं वाहन लाने ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।. यह कि प्रार्थी व अन्य ग्रामवासियों हमेशा संवैधानिक व कानूनी तथ्यों के आभार पर ही संघर्ष किया है। उक्त रास्ता प्रकरण इसी संघर्ष का परिणाम है। मात्र तीन से चार बीघा फिरनी भूमि के दोनों तरफ रास्ते (2) एफ टी.पी. व 3. एकटी पी को जाने वाले) है तथा उक्त फिरनी में आप श्रीमान् द्वारा 26 ... यथास्थिति के आदेश देने बावजूद भूमाफिया के 15–20 लोगों ने दिनांक 24. ...24 ... जबरदस्ती फिरनी भूमि में घुसकर तारबंदी कर दी जहां पूर्व ... कार्यालय से तीन नोटिस दिनांक 10.7 2024. 19.7.2024 व 24.7.2024 मिले तथा ... ने फिरनी भूमि से समस्त संसाधन हटा लिये थे। यह कि उक्त फिरनी भूमि से रास्ता निकलने से इससे लगने वाले समस्त घरों को रास्ता मिल सकेगा क्योंकि इन घरों में आने वाले अन्य रास्ते बिल्कुल संकरे है। इन घरों में पानी टैंकर लकड़ी व तूडी की ट्रालियां नहीं आ रही है। रास्ता मिलने से चारों तरफ रास्ते खुल जायेंगे जिससे आगजन को भी राहत पहुंचेगी। यह कि प्रार्थी द्वारा निगरानीकर्ता, बिहारीलाल एवं उसके अन्य साथियों के विरूद्ध भी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, ग्राम पंचायत गिलवाला एवं पंचायत समिति टिब्बी आदि के समक्ष उनके

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:04:58 IST
Reason: SelfAttested

(9)

द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने बाबत सक्रिय रूप से गुहार लगाई जा रही है लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है एवं ना ही अतिक्रमीयों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है। इस प्रकार से प्रार्थी इस प्रकरण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तथा चक 3 एफ.टी.पी. का निवासी है जिस कारण प्रकरण में अहम जवाबदेही रखता है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी के पत्र दिनांक 18.06.2024 जिसमें ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट के पत्र क्रमांक 42 दिनांक 08.05.2024 में मौका मुआयना पर पाया गया परिवादी धर्मपाल द्वारा बताये गये स्थान पर लोगों का कब्जा है,जहां पर लकड़ी तुड़ी के कुप, गोबर की खाद व कुछ जगह पर पशुओं के कच्चे छप्पर बना रखे है।
2. मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 16.12.2024 जो पत्रावली में सलंग्न है के आधार पर विवादित स्थल के दक्षिण में मिट्टी से भर्ति शुदा है जो आम रास्ते पर लगता है तथा विवादित स्थल पर सीमेंट के पुराने पिल्लर व कंटिले तार लगे हुए है जिसे घड़सीराम पुत्र जगराम का होना बताया गया विवादित स्थल पर पगंडडी है जो के घर के आगे मिलती है जिसमें बीरबल व भीयाराम द्वारा लकड़ी तुडी आदि डाली हुई है विवादित स्थल के पश्चिम के तरफ घड़सीराम पुत्र जगराम भागीरथ पुत्र जगराम पालाराम पुत्र जगराम लालचन्द पुत्र सहीराम के मकान है जिन्हे सीसी ब्लॉक से बना हुआ रास्ता लगता है इसके अतिरिक्त हरबंस पुत्र दलीप हनुमान पुत्र मनीराम श्योपत पुत्र बुधराम का मकान एवं पृथ्वीराम पुत्र ख्यालीराम का नोहरा आम रास्ते पर खुलते है जिनका गेट आम रास्ते पर नही है मौके पर उपस्थित निगरानीकर्ता व अन्य व्यक्तियों द्वारा विवादित स्थल कि कृषि भूमि होने तथा आबादी में आने के बारे में पुछने पर सतोंषजनक जवाब नही दिया।
3. पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है की निगरानीकर्ता आशीष पुत्र ओमप्रकाश बिश्नोई के विरूद्ध कोई नोटिस/आदेश पारित नही किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ सलंग्न दस्तावेज एवं दौराने बहस किये गये कथनो से यह स्पष्ट नही किया गया है कि विवादित स्थल किसी प्रकार और किस आधार पर उनकी पैतृक कृषि भूमि रही है। केवल मौखिक एवं लिखित अभिकथनों के माध्यम से निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता।
4. इस प्रकार विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। निगरानीकर्ता केवल मौखिक कथन एवं कथित कब्जे के आधार पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि"उक्त स्थिति में भी अतिक्रमी को अनुतोष नही दिया जा सकता" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में [illegible] सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र [illegible] से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को [illegible] जाये। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:04:58 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़